पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरपुरा

प्रकरण सं0 : 136/2020

1. जगदीश पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।
2. बलवान पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब नाम

1. भरतसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोवा त0 भादरा।
5. पीयूष] पुत्रान शकुन्तला पुत्री भरतसिंह नाबालिगान जरिये पिता
6. ललीत] कुलदीप जाति जाट निवासी झिलोवा हाल नरवाना हरियाणा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा झिलोवा के खाता सं0 58/56 के खसरा सं0 21 की 10.180है0, खसरा सं0 77 की 5.185है0, खसरा सं0 305 की 3.895है0, खसरा सं0 368 की 13.240है0 कुल 32.500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी में से वाद भूमि में से वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह का नाम कलमजद किया जाकर संयुक्त रूप से 6/7 व प्रतिवादी सं0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 जगदीश, वादीगण सं0 2 बलवान को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा व **प्रतिवादी सं0 5 पीयूष, प्रतिवादी सं0 6 ललित नाबालिगान जरिये पिता कुलदीप को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा** के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक)
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 136/2020

1. जगदीश पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।
2. बलवान पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब नाम

1. भरतसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा त0 भादरा।
5. पीयूष } पुत्रान शकुन्तला पुत्री भरतसिंह नाबालिगान जरिये पिता
6. ललीत } कुलदीप जाति जाट निवासी झिलौदा हाल नरवाना हरियाणा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रतिवादीगण

दिनांक : 09-02-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा झिलौदां के खाता सं0 58/56 के खसरा सं0 21 की 10.180है0, खसरा सं0 77 की 5.185है0, खसरा सं0 305 की 3.895है0, खसरा सं0 368 की 13.240है0 कुल 32.500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 57/54 के खसरा सं0 31 की 3.402है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रणजीत की खातेदारी हुआ करती थी। रणजीत के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे [illegible] से इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 7 स्टेट को वकील

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु बलवान पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम झिलौदा खाता सं0 58/56 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम झिलौदा खाता सं0 57/54 प्रदर्श 2, पुरानी जमाबंदी प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भानगढ प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में भरतसिंह के दो पुत्र जगदीश, बलवान व चार पुत्री रोशनी, सुमित्रा, राजबाला व स्व0 शकुन्तला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। **वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नरवाना जिला जीन्द के अनुसार शकुन्तला के दो वारिस पीयूष व ललित** है। वाद भूमि रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 58/56 के खसरा सं0 21 की 10.180है0, खसरा सं0 77 की 5.185है0, खसरा सं0 305 की 3.895है0, खसरा सं0 368 की 13.240है0 कुल 32.500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 57/54 के खसरा सं0 31 की 3.402है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी भरतसिंह के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में से वादीगण को संयुक्त रूप से 6/7 व प्रतिवादी सं0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/7 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 58/56 के खसरा सं0 21 की 10.180है0, खसरा सं0 77 की 5.185है0, खसरा सं0 305 की 3.895है0, खसरा सं0 368 की 13.240है0 कुल 32.500है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह के नाम से 1/2 हि[illegible] में से का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में से वादीगण को संयुक्त रूप [illegible] प्रतिवादी सं0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/7 बहिस्सा [illegible] जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना हक हि[illegible] कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार [illegible] विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक [illegible]हन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 जगदीश, वादीगण सं0 2 बलवान को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 पीयूष प्रतिवादी सं0 6 ललित **नाबालिगान जरिये पिता कुलदीप** को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner